



राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

आश्विन 21, शुक्रवार, शाके 1939—अक्टूबर 13, 2017  
Asvina 21, Friday, Saka 1939—October 13, 2017

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

### संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 13, 2017

जी.एस.आर.85 :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा सदस्य यात्रा तथा दैनिक भत्ता नियम, 1964 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सदस्य यात्रा तथा दैनिक भत्ता (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2017 से ही प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा सदस्य यात्रा तथा दैनिक भत्ता नियम, 1964 से संलग्न अनुसूची में, शीर्ष ख. सड़क द्वारा यात्रा के लिए मील भत्ता के अधीन,-

(i) मद (i) के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "7.00 प्रति कि.मी." के स्थान पर अभिव्यक्ति "10.00 रु. प्रति कि.मी." प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ii) मद (ii) के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "1.00 प्रति कि.मी." के स्थान पर अभिव्यक्ति "1.00 रु. प्रति कि.मी." प्रतिस्थापित की जायेगी ;

- (iii) मद (iii)के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "1.80 प्रति कि.मी." के स्थान पर अभिव्यक्ति "1.80 रु. प्रति कि.मी." प्रतिस्थापित की जायेगी ; और
- (iv) मद (iv) के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "0.25 प्रति कि.मी." के स्थान पर अभिव्यक्ति "0.25 रु. प्रति कि.मी." प्रतिस्थापित की जायेगी ;

[संख्या एफ. 7(1)संसद/2016]

राज्यपाल के आदेश से,  
मनोज कुमार व्यास,  
प्रमुख शासन सचिव।

**PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

**Jaipur, October 13, 2017**

**G.S.R.86** .-In exercise of the powers conferred by section 11 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Members Travelling and Daily Allowances Rules, 1964, namely:-

**1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Members Travelling and Daily Allowances (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall be deemed to have come into force on and from 1<sup>st</sup> day of April, 2017.

**2. Amendment of Schedule.**- In Schedule appended to the Rajasthan Legislative Assembly Members Travelling and Daily Allowances Rules, 1964, under the head B. Mileage Allowance for Travel by Road,-

- (i) against item (i), for the existing expression "7.00 per k.m.", the expression "Rs. 10.00 per k.m." shall be substituted;

- (ii) against item (ii), for the existing expression "1.00 per k.m.", the expression "Rs. 1.00 per k.m." shall be substituted;
- (iii) against item (iii), for the existing expression "1.80 per k.m.", the expression "Rs. 1.80 per k.m." shall be substituted; and
- (iv) against item (iv), for the existing expression "0.25 per k.m.", the expression "Rs. 0.25 per k.m." shall be substituted.

**[No. F 7 (1) Sansad/2016]**  
**By Order of the Governor,**  
Manoj Kumar Vyas,  
**Principal Secretary to the Government.**

---

**Government Central Press, Jaipur.**